उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 2020/17 दिनांक 3/4/17

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
समस्त नर्सिंग / पैरामेडिकल प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

महोदय / महोदया,

इस कार्यालय में कतिपय प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वे उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहे है। इस संबंध में आप अवगत ही हैं कि आपको इस शर्त के साथ पाठ्यक्रमों की मान्यता उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रदान की गयी है कि आपके संस्थान के परिसर में उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगे।

इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुमति से आपके संस्थान में जो प्रशिक्षण चल रहे है, उसके अतिरिक्त आपके संस्थान में यदि कोई प्रशिक्षण जो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के बिना अनुमति के चलता हुआ पाया गया, तो आपके प्रशिक्षण केन्द्र के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका एवं आपके प्रशिक्षण केन्द्र का होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।